

**फर्द घटकाम**

(नियम 26)

अज अदालत अति. जिला कलेक्टर मुकान येँक

बनाम कुन्दन मल तहसील देवली

किस्म मुकदमा अपील नं. 34/2013 सन् 67/27-8-13 6/2015

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मंग इनिशियल्स अज</p>	<p>नम्बर व नारीख पहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-------------------	---	---

<p>15.07.2013</p>	<p>अपीलान्त श्री <u>कुन्दन मल</u> <u>ब/612/11</u> ने जरिये अभिभाषक तहसीलदार देवली के आदेश दिनांक 30.05.2013 अन्तर्गत धारा 90क एल0आर0 एक्ट के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन किया गया। क्योंकि अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 03.06.2013 को अति.जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है इस संदर्भ में तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाधीन आदेश में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु बजरी के ढेर लगाकर कार्य में लिये जाने के कारण एल0आर0 एक्ट 90क के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है इसलिए इन अपीलों की सुनवाई मेरे स्तर से किया जाना उचित नहीं रहेगा अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित की जाकर पत्रावली में संदर्भित पक्षकार दिनांक 13.08.2013 को न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष उपस्थित होंगे।</p>	
<p>21/8/13</p>	<p>पत्रावली न्यायालय अति. जिला कलेक्टर येँक से प्राप्त होने एवं मंत्रालयिक कर्मचारी सांख्यिक अवकाश पर रहने के फलस्वरूप आज पेश हुई। अभिभाषक संच हायु. न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। P.S. साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-8-13 को पेश करेंगे।</p>	<p>बतिरिक्त जिला कलेक्टर येँक</p>

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही समय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

23.2.17

फनावली पेश। राजकीय पेत्रीकर (रेसो) डण्ड  
अपीलान्ट व उनके अडिअकड अनु०। अपीलान्ट व उनके  
अडिअकड की बार-बार आवज लगवाई गई किन्तु  
के उपस्थित नहीं हुए। अतः अजील अपीलान्ट अदर  
हमरी-अदर पेत्री में तारिख मी-काली ही फनावली  
निर्णय शुक्रा एका बाद तबरील दारिबल रकहर  
हो र

बतारिखत तारिख फनावली  
दो